न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2025 G.C.M.S. No. 2025/21 दर्ज दिनांक : 21.02.2025

अपीलार्थिगण:

1. पेमाराम पुत्र लिखमाराम, उम्र 50 वर्ष
2. दुर्गाराम पुत्र औगड़राम, उम्र 40 वर्ष
3. कमलीदेवी पत्नि औगड़राम, उम्र 65 वर्ष
4. रमेश पुत्र औगड़राम, उम्र 39 वर्ष
5. सुशीला पत्नि पेमाराम, 45 वर्ष, सभी जातियान कुमावत, निवासीगण बेरा जाकेटिया, लिकमाजी का खिनावड़ी, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राहुलदेव पुत्र कैलाशदान, उम्र 43 वर्ष, जाति चारण, निवासी खिनावड़ी, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2023 बअनवान राहुलदेव बनाम पेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.01.2025

पैरोकार–

1. श्री राजूराम पंवार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्षण राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 30.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2023 बअनवान राहुलदेव बनाम पेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादी (रेस्पोंडेन्ट/सायल) ने इस आशय का वाद पेश किया कि सायल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम सरहद मौजा खिनावडी पटवार हल्का मुलमाल तहसील जैतारण में स्थित है। जिसका एक मात्र रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार सायल है। उक्त कृषि भूमि जिसका सायल एक मात्र रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसमें सायल का एक निर्मित ट्यूबवैल है। जिसका सायल एक मात्र मालिक व उपभोक्ता है। उक्त सायल की खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि व ट्यूबवैल में गैरसायलान का कोई किसी प्रकार का हक व हिस्सा व अधिकार व कब्जा न तो था और ना ही है, गैरसायलान की नियत खराब है व संख्या बल व बलपूर्वक अवैध रूप से गैर कानूनी रूप से सायल की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त भूमि पर कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व दखलअंदाजी व सायल को इस भूमि में से बेदखल करने पर आमदा है। सायल की उक्त भूमि में किये जाने वाले कृषि कार्य उससे सम्बन्धित इस्यूमेन्ट व खेत के चारों ओर तारबंदी व ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन लेने व सायल की उक्त कृषि भूमि व उक्त भूमि के पड़ोस में सायल की अन्य भूमि में पाईपलाइन से सिंचाई हेतु पानी ले जाकर फसल सिंचाई के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर गैरसायलान आमादा है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं व यदि गैरसायलान द्वारा अवैध व गैरकानूनी रूप से सायल को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल किया गया व उसके कब्जे व काश्त में दखलअंदाजी की गई व सायल को उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करने से रोका गया व काश्त करने काश्त के मुतालिक कोई कार्य करने जिससे खेत की तारबंदी व ट्यूबवेल चालू कर सिंचाई करने से रोका गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं है। किंतु हस्तगत प्रकरण से विदित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, न ही जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया और अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 22.01.2025 को आदेश पारित किया गया। इसके साथ ही अपीलाण्ट विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया। यदि अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो इससे अपीलांट्स को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिंदु पूर्ण रूप से अपीलांट के पक्ष में निहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध एवं निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22.01.2024 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम खिनावड़ी, तहसील जैतारण के खसरा संख्या 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर जो प्रार्थी रेस्पोंडेंट की खातेदारी आराजी है, में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व बाधा आदि कारित नहीं करने के लिए अपीलांट्स को पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अपीलांट्स अपीलाधीन आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदारान को पाबंद कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जो काबिल अपास्त है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीयात ग्राम खिनावड़ी, तहसील जैतारण के खसरा संख्या 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर का रेस्पोंडेंट अभिलिखित खातेदार है न कि अपीलांट। अतः पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के भू-अभिलेख व तथ्यों का अवलोकन किए बिना यांत्रिक रूप से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलाधीन आराजीयात अपीलांट्स की खातेदारी आराजी हों।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट्स बखूबी साबित नहीं हुई हैं तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2023 बअनवान राहुलदेव बनाम पेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.01.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner